



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 पौष, 1944 (श०)

संख्या - 28 राँची, गुरुवार, 19 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

5 दिसम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-154/2016-18386 (HRMS)--श्रीमती ब्रजलता, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-पटना), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कैरो, लोहरदगा के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5588/रा०, दिनांक 19.10.2016 के द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया ।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-689, दिनांक 20.01.2017 द्वारा श्रीमती ब्रजलता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में उनके पत्र, दिनांक 15.06.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती ब्रजलता के विरुद्ध आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभाग स्तर पर इनके विरुद्ध आरोप-पत्र का गठन किया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) श्रीमती ब्रजलता (तृतीय बैच), झा०प्र०से० को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-1910, दिनांक 04.05.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, कैरों, लोहरदगा से अंचल अधिकारी, मंडरो, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया गया, किन्तु अंचल अधिकारी, कैरों का प्रभार सौंपने के पश्चात् इनके द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं दिया गया ।

(ii) पुनः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-4377, दिनांक 04.08.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, मंडरो, साहेबगंज के पद से स्थानांतरित करते हुए इन्हें अंचल अधिकारी, भंडरा, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया गया, किन्तु इस पद पर भी इनके द्वारा योगदान नहीं दिया गया और न ही प्रभार ग्रहण नहीं करने के संबंध में विभाग को कोई सूचना प्रेषित की गई ।

(iii) लगभग 2 वर्षों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के पश्चात् दिनांक 13.06.2018 को इनके द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में योगदान दिया गया ।

(iv) श्रीमती ब्रजलता का उक्त कृत्य अनुशासनहीनता, राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है तथा यह सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-472 दिनांक 24.01.2020 द्वारा श्रीमती ब्रजलता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-311, दिनांक 15.07.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में अंकित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान स्वीकृत योग्य नहीं है एवं आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप प्रमाणित होता है ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत, इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया है ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-5003, दिनांक 22.09.2021 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है। इसके अनुपालन में श्रीमती ब्रजलता के पत्रांक-893, दिनांक 24.06.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया है। श्रीमती ब्रजलता द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में निम्न तथ्य समर्पित किया गया- “राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-1910, दिनांक 04.05.2016 द्वारा उनकी पदस्थापना अंचल अधिकारी, मंडरो, साहेबगंज के पद पर की गई। परन्तु उनके द्वारा उक्त पद पर स्वास्थ्य कारणों से योगदान नहीं किया गया। उन्हें Lymph Nodes Tuberculosis जो कि वर्ष 2007 के बाद दूसरी बार हुई थी, जिससे पद पर योगदान करने में असमर्थ थी ।

पुनः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-4377, दिनांक 04.08.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, मंडरो, साहेबगंज के पद से स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, भंडरा, लोहरदगा के पद पर कर दी गई। चूँकि यह पदस्थापना मंडरो के बाद काफी अल्प अवधि में कर दी गयी और T.B. के कारण वे Field Posting पर योगदान में असमर्थ थी। स्थानीय चिकित्सक के परामर्श के बावजूद इनका स्वास्थ्य पूरी तरह से सही नहीं होने के कारण AIIMS और CMC Vellore के चिकित्सकों से परामर्श करना पड़ता था। उनको Tuberculosis के साथ-साथ Sarcodosis एवं Bronchial Asthma की भी शिकायत है, ऐसे में उक्त पदों पर योगदान नहीं कर सकी।

लगभग दो वर्षों से अनुपस्थित रहने के पश्चात् जैसे ही उनकी स्वास्थ्य में सुधार हुआ वे दिनांक 13.06.2018 को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची में अपना योगदान समर्पित किये। उनके द्वारा उन पर प्रस्तावित दण्ड को उनकी वस्तुस्थिति एवं स्वास्थ्य को देखते हुए विलोपित करने का अनुरोध किया गया तथा भविष्य में उनके द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं होने का उल्लेख करते हुए कहा गया कि विभाग एवं सरकार द्वारा दिये गये आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्रीमती ब्रजलता के विरुद्ध मुख्य आरोप है कि इनके द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना की अवहेलना करते हुए अनधिकृत रूप से लगभग दो वर्षों से अनुपस्थित रहने के पश्चात् दिनांक 13.06.2018 को राजस्व विभाग में योगदान दिया गया। उक्त आरोप पर इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान को संचालन पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत करते हुए आरोप को प्रमाणित माना गया है। अपने द्वितीय कारण पृच्छा में श्रीमती ब्रजलता द्वारा अंकित है कि Lymph Nodes Tuberculosis, एवं T.B. जैसे स्वास्थ्य संबंधी कारण से अधिसूचित पदों पर योगदान नहीं कर सकी। साथ ही वस्तुस्थिति एवं स्वास्थ्य को देखते हुए प्रस्तावित दण्ड को विलोपित करने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति भविष्य नहीं होगी तथा विभाग एवं सरकार के आदेश का अक्षरशः अनुपालन ये करेंगी।

अतः समीक्षोपरांत स्वास्थ्य संबंधी कारणों एवं संलग्न चिकित्सीय पुर्जा पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए श्रीमती ब्रजलता, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कैरो, लोहरदगा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती ब्रजलता, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BRAJ LATA 110001163096	श्रीमती ब्रजलता, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कैरो, लोहरदगा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
